रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222189
CG-DL-E-01102020-222189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/ आश्विन 8, 1942
No. 403]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ ASVINA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

फा.सं.पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(07)/2020(पी-884).—प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करना) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) वे बोली या प्राधिकार वर्ष के बावजूद सभी अधिकृत संस्थाओं पर लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करना) विनियम, 2008 के विनियम 14 में, उप विनियम (1) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(1) "संस्था घरेलू पीएनजी ग्राहक से नीचे उल्लिखित उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए ब्याज मुक्त प्रतिदेय सुरक्षा जमा राशि ले सकती है, जिसमें अंतिम मील कनेक्टिविटी, अर्थात् मीटरिंग यूनिट से पहले राइजर आइसोलेशन वाल्व और ग्राहक के परिसर में बर्नर को जोड़ने वाली सुरक्षा होज पाइप के बीच स्थापना की श्रम लागत भी शामिल है, जिसकी राशि एक कनेक्शन के लिए "छह हजार रुपए" से अधिक नहीं होगी, अर्थात्:-

(क) मीटरिंग यूनिट से पहले राइजर आइसोलेशन वाल्व;

(ख) मीटरिंग यूनिट तक दस मीटर पाइप;

(ग) मीटरिंग यूनिट;

(घ) मीटरिंग यूनिट से अतिरिक्त प्रवाह चेक वाल्व-सह-आइसोलेशन वाल्व तक पांच मीटर पाइप या ट्यूब;

(ड.) अतिरिक्त प्रवाह जाँच वाल्व-सह-आइसोलेशन वाल्व; और

(च) घरेलू पीएनजी बर्नर को जोड़ने वाले मानक आकार के सुरक्षा होज पाइप

बशर्ते कि संस्था द्वारा नेटवर्क टैरिफ बोली में अंतिम मील कनेक्टिविटी का प्रभार शामिल हो।

बशर्ते आगे यह कि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट "छह हजार रुपए" की राशि को संस्था द्वारा घरेलू पीएनजी ग्राहक के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने की स्थिति में "नौ हजार रुपए" की राशि से प्रतिस्थापित माना जाएगा।

बशर्ते यह भी कि यह घरेलू पीएनजी ग्राहक का विकल्प होगा कि वह स्मार्ट मीटर या सामान्य मीटर को तरजीह देगा और संस्था उसे स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनने के लिए बाध्य नहीं करेगी या घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस कारण से रोक नहीं लगाएगी कि ग्राहक ने स्मार्ट मीटर का विकल्प नहीं चुना है।

बशर्ते यह भी कि किसी मौजूदा घरेलू पीएनजी ग्राहक के पास यह विकल्प होगा कि वह वर्तमान सामान्य मीटर को संस्था को तीन हजार रुपए का भुगतान करके स्मार्ट मीटर से बदल सकता है।

स्पष्टीकरण -

1. घरेलू पीएनजी ग्राहक पाइप के लिए सामग्री और श्रम शुल्क की वास्तविक लागत और ऊपर निर्दिष्ट लंबाई से अधिक ट्यूबिंग का खर्च वहन करेगा।

2. घरेलू पीएनजी ग्राहक एक ही परिसर में एक अन्य घरेलू पीएनजी बर्नर या किसी अन्य गैस-आधारित उपकरण को जोड़ने के लिए आम मीटरिंग यूनिट से श्रम प्रभार सहित स्थापना की वास्तविक लागत का भुगतान करेगा।

3. इस विनियमन के प्रयोजन के लिए उस मीटर को स्मार्ट मीटर माना जाएगा, यदि इसमें (i) संस्था और ग्राहक के बीच दो-तरफ़ा संचार में मीटर रीडिंग और नैदानिक डेटा को संस्था में भेजने की कोई अंतर्निहित सुविधा है;

   (ii) ग्राहक को विभिन्न भुगतान विकल्पों के माध्यम से मीटर रिचार्ज करने के लिए प्री-पेड चार्जिंग सुविधा है; और

   (iii) यदि संतुलन न्यूनतम या उपर्युक्त क्रेडिट सीमा से नीचे चला जाता है तो इसमें लगा अंतर्निहित शट-ऑफ-वाल्व गैस की आपूर्ति को रोक देता है।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./264/2020-21]

फुट नोट: मूल विनियमों को जी.एस.आर. 196(अ.) दिनांक 19 मार्च, 2008 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और बाद में जी.एस.आर. 800 (अ.) दिनांक 19 नवंबर, 2008, जी.एस.आर. 295 (अ.) दिनांक 30 अप्रैल, 2009, जी.एस.आर. 478 (अ.) दिनांक 7 जून, 2010, जी.एस.आर. 605 (अ.) दिनांक 19 जुलाई, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/ पुनरीक्षण-2011/2012-III दिनांक 21 जून, 2013, फा.सं.पीएनजीआरबी/सीजीडी/बोली/4/2013-बोली-पूर्व दिनांक 7 अप्रैल, 2014, फा.सं. एल एमआईएससी/ VI/I/2007 दिनांक 1 जनवरी, 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/संशोधन/ 2015 दिनांक 13 फरवरी 2015,पीएनजीआरबी/सीजीडी/संशोधन/2015/2 दिनांक 11 दिसंबर 2015, फा.सं. पीएनजीआरबी/ सीजीडी/संशोधन/ 2015/2/एससी दिनांक 26 अप्रैल 2016, फा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधिकार/ सीजीडी/ एएमडी/2018 दिनांक 6 अप्रैल 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधिकार/ सीजीडी/संशोधन/2018/2 दिनांक 27 अप्रैल 2018, फा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधिकार/ सीजीडी/संशोधन/ 2018/3 दिनांक 6 नवंबर 2018, और फा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधिकार/ सीजीडी/संशोधन/2018/4 दिनांक 21 नवंबर 2018। द्वारा संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(07)/2020 (P-884) .— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely: -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(3) They shall be applicable to all authorized entities irrespective of the year of bidding or authorization.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 in regulation 14, for sub regulation (1), and the Explanation thereto, the following shall be substituted, namely: -

"(1) The entity may take an interest-free refundable security deposit from domestic PNG Customer towards security of the equipments and facilities mentioned below, including the labour cost of installation towards last mile connectivity, that is, between the riser isolation valve before the metering unit and the suraksha hose pipe connecting the burner in the customer's premises for an amount not exceeding "rupees six thousand" for a single connection, namely:-

(a) riser isolation valve before the metering unit;
(b) ten meters of pipe up to the metering unit;
(c) metering unit;
(d) five meters of pipe or tube from the metering unit up to the excess flow check valve-cum-isolation valve;
(e) excess flow check valve-cum-isolation valve; and
(f) suraksha hose pipe of standard size connecting the domestic PNG burner

Provided that the network tariff bid by the entity shall include the charges towards the last mile connectivity:

Provided further that the amount of "rupees six thousand" referred to in this sub-regulation shall be

deemed to have been substituted by the amount of "rupees nine thousand" in case the entity installs a smart meter at the premises of the domestic PNG Customer:

Provided also that it shall be the option of the domestic PNG customer to choose either the smart meter or the normal meter and the entity shall not force him to opt for the smart meter or to withhold providing the domestic PNG connection for the reason that the customer has not opted for the smart meter:

Provided also that an existing domestic PNG customer shall have the option to seek replacement of existing normal meter by a smart meter on payment of rupees three thousand to the entity.

Explanation.-

1. The domestic PNG customer shall bear the actual cost of the material and labour charges for pipe and the tubing in excess of the length specified above.
2. The domestic PNG customer shall pay the actual cost of installation including labour charges from the common metering unit onwards for connecting another domestic PNG burner or any other gas-based appliance in the same premises.

3. A meter shall be considered to be a smart meter for the purpose of this regulation if it has -
   (i) an in-built feature of sending the meter reading and diagnostic data to the entity in a two-way communication between the entity and the customer;
   (ii) a pre-paid charging facility enabling the customer to recharge the meter through various payment options; and
   (iii) an inbuild shut-off valve which stops gas supply once the balance goes below the set minimum or above the maximum credit limit.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty/264/2020-21]

Foot Note: Principal regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. 196 (E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E), dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E), dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E), dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E), dated 19th July, 2010, F. No. PNGRB/ CGD/ REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III, dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F. No. L-MISC/VI/ I/2007, dated 1st January, 2015, F. No. PNGRB/ CGD/ Regulations/Amend/2015, dated 13th February 2015, PNGRB/CGD/Amendment/2015/2, dated 11th December 2015, F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2/SC, dated 26th April 2016, F. No. PNGRB/AUTH/ CGD/Amd/2018, dated 6th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/2, dated 27th April 2018, F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/3, dated 6th November 2018, and F. No. PNGRB/Auth./CGD/Amd/2018/4, dated 21st November 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA